रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्रधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

मैनुअल सँख्या - १३

सम्पर्क : महानिदेशक, चिकित्सा,
स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड
ई-मेल : dghealth.uttarakhand@gmail.com

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्रधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण विभाग के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए दी जाने वाली रियायतें निम्न प्रकार हैं–

1. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों हेतु निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराना

2. सभी बी0पी0एल0 परिवारों को विभाग द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ऐसे समस्त परिवारों को पहुँचाने के लिये एक स्वास्थ्य सेवा कार्ड उपलब्ध कराया जाय जिससे ऐसे समस्त चिन्हित परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने में मदद मिलेगी। इस कार्ड में ऐसे परिवारों की मूलभूत जानकारी व कार्ड उपयोग हेतु दिशा–निर्देश दिए गए है। स्वास्थ्य कार्ड के लाभ निम्न प्रकार होगें–

   - **इस स्वास्थ्य कार्ड** का उद्देश्य बी0पी0एल0 परिवार के सदस्यों को चिकित्सकीय सेवाओं का लाभ पहुँचाना है तथा सेवाओं की उपलब्धता के माध्यम से मृत्यु दर व रूग्णता दर (Mortality & Morbidity) में कमी लाना है।

   - गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार सभी राजकीय चिकित्सालयों में इस कार्ड के माध्यम से बिना किसी परेशानी के निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेगें।

   - ऐसे परिवारों के पास स्वास्थ्य कार्ड होने से उन्हें बी0पी0एल0 से सम्बन्धित दस्तावेजों को अलग–अलग सेवा स्थानों पर देने की आवश्यकता नहीं होगी।

   - यह स्वास्थ्य कार्ड इन सेवाओं के अतिरिक्त अन्य योजनाओं जैसे–जननी सुरक्षा योजना, राज्य व्याधि निधि हेतु भी अनुमन्य होगा।

<u>योजना का क्रियान्वयन</u>

- स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का आधार वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ब्लॉक स्तर पर चयनित गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सूची, जोकि ग्राम स्तर पर संयोजित किये जाने वाले आर्थिक रजिस्टर के आधार पर बनायी गयी है, के अनुसार होगा।

- चयनित परिवारों की सूची सम्बन्धित खण्ड विकास कार्यालय से प्राप्त कर स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिये उपयोग में लाया जायेगा।

- आर्थिक रजिस्टर में सूचीबद्ध विवरण के अनुसार उपकेन्द्र स्तर पर ए0एन0एम0 द्वारा ग्रामवार परिवारों का सत्यापन करने के बाद यह स्वास्थ्य कार्ड सूचीबद्ध परिवारों को जारी किया जायेगा। ए0एन0एम0 इस कार्य हेतु प्राधिकृत कर्मचारी मानी जायेगी।

- ए0एन0एम0 द्वारा ग्रामवार रजिस्टर संयोजित व संकलित किये जाने के पश्चात् प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर कम्प्यूटरीकृत किये जाने हेतु भेजा जायेगा जिससे भविष्य में ऐसे कार्डो को पुनः निर्गत करने, परिवारों के पहचान तथा परिवारों को दी जाने वाली सेवाओं की लागत के प्रतिपूर्ति (Reimbursement) हेतु उपयोग में लिया जा सकेगा। यदि कार्ड के सम्बन्ध में भविष्य में कोई शिकायत या सुधार की आवश्यकता होगी तो उसका निराकरण चिकित्सा प्रभारी, सम्बन्धित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा खण्ड विकास अधिकारी, सम्बन्धित विकास खण्ड के द्वारा सामूहिक निर्णय के आधार पर आवश्यकीय सुधार करेंगे। इस योजना के कियान्वयन हेतु सम्बन्धित ब्लॉक क्षेत्र के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा ब्लॉक चिकित्सा प्रभारी के साथ मिलकर ए0एन0एम0 को इस योजना के संदर्भ में बैठकों के माध्यम से पूर्ण जानकारी प्रदान की जायेगी।

- स्वास्थ्य कार्ड जारी किये जाने से पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रचार प्रसार के माध्यमों से इस सन्दर्भ में विस्तृत प्रचार किया जाएगा। जिससे ऐसे सभी परिवार विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि व प्रस्तावित कैम्पों के द्वारा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर सके।

- वर्तमान में बी0पी0एल0 परिवारों को दी जाने वाली सेवाओं की लागत की प्रतिपूर्ति हेतु चिन्हित 10 चिकित्सालयों को धनराशि उपलब्ध की जाएगी। प्रायोगिक तौर पर हैल्थ सिस्टम डेवलेपमेंट परियोजना के माध्यम से रु0 40.00 लाख का प्राविधान इस प्रकार की प्रतिपूर्ति हेतु किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि की व्यवस्था किए जाने हेतु आवश्यकीय शासनादेश विचाराधीन है।